न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा, जिला दौसा, राज0,

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सरिता मल्होत्रा (आर.ए.एस.),

रजू दिनांक :– 3/12/2021 मु0 नं0 :– 103/10

1. किशनलाल पुत्र भैरु
2. बोदूराम पुत्र भैरु
3. रामकिशन पुत्र मंगलराम
4. गिरधारी पुत्र रामकरण

समस्त जाति :– बैरवा,
निवासी ग्राम :– नापाकावास,
तहसील :– रामगढ पचवारा,
जिला :– दौसा, राजस्थान,

———: वादीगण,

बनाम्

1. देवा पुत्र भैरु
2. सीताराम पुत्र श्योराम
3. गिर्राज पुत्र कल्याण

समस्त जाति :– बैरवा,
निवासी ग्राम :– नापाकावास,
तह0 :– रामगढ पचवारा, जिला :– दौसा,

4. राजस्थान सरकार जरिये – तहसीलदार महोदय रामगढ पचवारा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान,

———: प्रतिवादीगण,

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादीगण कि ओर से – श्री चन्द्रभानसिंह चौहान, एडवोकेट,
2. 1,2,3,प्रतिवादीगण कि ओर से – श्री शम्भूदयाल राणा, एडवोकेट,
3. प्रतिवादी संख्या –4 कि ओर से – कोई उपस्थित नहीं है।

——:: निर्णय ::——

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

लगातार.....2.

वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 6/2/2020

वादीगण ने एक वाद पत्र वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आषय का पेष किया कि आराजी खसरा नं0 8 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 7 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 9 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 9/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नापाकावास चक नं0 –1 में स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :––

भैरुराम

|

देवा (प्रति सं–1)	मंगलराम (फौत)	रामकरण(फौत)	किषनलाल (वादी सं–1)	बोदूराम (वादी सं–2)
	रामकिषन (वादी सं–3)	गिरधारी (वादी सं–4)		

वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या –1 कि पैतृक भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या –1 के पिता ने इस भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार कि सम्पत्ति से आज से लगभग 50 साल पूर्व कय कि थी। परन्तु वादीगण के पिता ने इस भूमि को अपने जेष्ठ पुत्र प्रतिवादी संख्या –1 के नाम से राजस्व रिर्काड में अंकित करवा दी परन्तु मौके पर सभी भाई अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहें है। प्रतिवादी संख्या –1 के नाम से हिस्सा 1/2 कि समस्त भूमि अंकित होने के कारण अब उसकी नियत में फितुर आ गया है तथा इस भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिसका उसको

लगातार..............3.

अधिकारी

कोई अधिकार हॉसिल नहीं है। वादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को इस आशय से प्रतिबन्धित करवाने के अधिकारी है, कि प्रतिवादी संख्या –1 वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कि दखल अन्दाजी न करें न करावें तथा प्रतिवादी संख्या –1 उक्त आराजीयात को रहन बय न करें सदैव के लिये प्रतिबन्धित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। दिनांक 15–11–2010 को वादीगण अपने हिस्से मे पलाव कर रहें थे तो प्रतिवादी संख्या –1 ने एलानियॉ आकर कहॉ कि तुम्हारा इस भूमि पर कोई हक नहीं है यह मेरे नाम से अंकित है ओर यदि तुम इस पर कब्जा नहीं छोडोगे तो मैं इसे किसी अनजान व्यक्ति को बेचान कर दूँगा। बय यही विनाय दावा विनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। जिस पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को प्रकरण हस्तान्तरित होकर सुनवाई हेतू प्रेषित हुआ। प्रतिवादी संख्या –1 देवा ने हाजीर अदालत होकर इबालिया जवाब पेष किया तथा प्रतिवादी संख्या –2 सीताराम व प्रतिवादी संख्या –3 गिर्राज सहकाश्तगार होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है जिन्होने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से उपस्थिति दर्ज करवायी।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य सबूत पेश किये एवं गवाहो के शपथ पत्र गवाह गिरधारी, किशनलाल, गणपत ने प्रस्तुत किये तथा दिनांक 20–01–1997 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के बटवारे बाबत् लिखित इकरारनामा पेश हुआ तथा भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज एक स्टाम्प दिनांक 15–06–1959 का प्रस्तुत हुआ। बहस वादीगण कि सुनी गयी।

हमने बहस वादीगण कि सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं सबूतो को गौर से देखा वाद पत्र में आराजी खसरा नं0 8 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 7 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 9 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 9/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नापाकावास चक नं0 –1 में स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या –1 के हिस्सा 1/2 कि खातेदारी कि भूमि है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान रुप से काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। इस भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार कि सम्पत्ति से जिसे लगभग 60 वर्ष पूर्व कय किया गया था। इसमें वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

लगातार.....4.

प्रतिवादीगण का समान हिस्सा हैं एवं इसी प्रकार से काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहें है। जिसकी ताईद प्रतिवादी संख्या –1 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर कि है। जहॉ संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पत्ति से कय कि हुई सम्पत्ति हो वहॉ पर संयुक्त हिन्दू परिवार का उस सम्पत्ति में संयुक्त रुप से समस्त परिवार का हक होता है, यह कानूनी है। तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी प्रमाणित है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस आशय से डिक्री किया जाता है, कि आराजी खसरा नं0 8 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 7 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 9 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 9/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नापाकावास चक नं0 –1 में स्थित है, जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी संख्या –1 का हिस्सा 1/2 है का जरिये उद्घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या –1 को समान हिस्से का अर्थात् 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 दर हिस्सा 1/2 का काबिज खातेदार काश्तगार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री तैयार कर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्रीमती सरिता मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी,

रामगढ पचवारा,

निर्णय एवं डिक्री आज दिनांक 06/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सरिता मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी,

रामगढ पचवारा,